



130 (2)

पुनरीक्षण या चिका कं
प्रस्तुत दिनांक

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

R-3695-PBA/14

श्रीमति सुधाबाई पति श्री देवीसिंह रघुवंशी, पुत्री-
स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम पिपलिया-
कलाँ, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद -----आवेदिका
विरुद्ध

श्री डी. एस. गुजर
अभिभावक द्वारा आज
दिनांक 30-10-14 को
भोपाल कैंप पर प्रस्तुत
GMM
30-10-14

1. श्रीमति सुशीलाबाई विधा स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम कांस्खेडी, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद
2. गंभीरसिंह पिता स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-ग्राम कांस्खेडी, तहसील-स्विनी मालवा, जिला-होशंगाबाद
3. श्रीमति शोभाबाई पति राजेश कुमार रघुवंशी, पुत्री-स्व. सागरलाल रघुवंशी, निवासी-रसूलिया कालोनी, होशंगाबाद, तह0 व जिला-होशंगाबाद -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण या चिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश क-राजस्व संहिता।

आवेदिका यह पुनरीक्षण या चिका माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 85/अ वर्ष 11-12 ग्राम बाबडिया बापू, तहसील-स्विनी मालवा, जिला- होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 17/4/2014 से अस्तुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है।

82

कुछा / कुशील

र-3695/14 हैशगवद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/8/2017	<p>आवेदक अभिभाषक श्री जी.वी.थादव तथा अभावेदक द्वारा श्री के.के.यदुवंशी अभिभाषक उपरिष्ठा। उभयपक्ष द्वारा वनाया दि.ने प्रकरण को कानि चलाना नहीं चाहते हैं। उभयपक्ष द्वारा उष्ठाप नही चलाने के अनुरोध पर प्रकरण समाप्त किया जाना है।</p> <p style="text-align: right;">अहमदा</p>	<p>Y.P.K. M.K. Pooe K. K. Yadav अरबाद V. K. Y.</p>